संख्या-52/2016-1499 ई-2/तेरह-2016-83/2012

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 02 अगस्त,2016

विषय:- मेसर्स कोठारी फरमेंटेशन एण्ड बायोकेम लि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-11/दस-शीरा-140सी/3/वा0शी0उ0/2005-06, दिनांक 13 मई,2016 तथा जी-21/दस-140सी(3)/वा0शी0उ0/2005-06, दिनांक 21 जून,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा मेसर्स कोठारी फरमेंटेशन एण्ड बायोकेम लि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 3,07,200 कुण्टल से बढाकर 5,26,400(पांच लाख छब्बीस हजार चार सौ) कुण्टल निर्धारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in